



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1777]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 2010/भाद्र 5, 1932

No. 1777]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 2010/BHADRA 5, 1932

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2010

का.आ. 2094(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार, स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत ऐसी वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा उसका कुछ प्रतिशत आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उन पटसन पैकेजिंग सामग्री में आपूर्ति अथवा वितरण किए जाने के प्रयोजन से पैक किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटसन सामग्री में पैकेजिंग के मानदंडों की सिफारिश करने के लिए दिनांक 8 मार्च, 2010 के का.आ. 549(अ) द्वारा स्थायी सलाहकार समिति का गठन कर दिया है;

और, जबकि केंद्र सरकार स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसको दी गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद इस बात से संतुष्ट है कि पटसन वर्ष 2010-11 (अर्थात् जुलाई 2010 से जून 2011 तक) के लिए वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणियां अथवा उसका कुछ प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना, कच्चे पटसन और पटसन पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और इनके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में आवश्यक है;

अतः अब पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 16 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पटसन वर्ष 2010-11 के लिए अर्थात् 30 जून, 2011 तक नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को इस अनुसूची के कालम (3) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार न्यूनतम प्रतिशत में संवितरण की आपूर्ति के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	वस्तुएं	भारत में उत्पादित कच्चे पटसन से भारत में विनिर्मित पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी के कुल उत्पादन का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
(i)	खाद्यान्न	सौ प्रतिशत (100%)
(ii)	चीनी	सौ प्रतिशत (100%)

2. उपर्युक्त प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :
- (क) विटामिनयुक्त परिपुष्ट चीनी;
- (ख) वस्तुओं के निर्यात के लिए पैकिंग;
- (ग) 25 किग्रा. और उससे कम के छोटे उपभोक्ता पैक;
- (घ) 100 किग्रा. से अधिक की बल्क पैकेजिंग।

[फा. सं. 9/22/2010-पटसन]

सुजीत गुलाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 27th August, 2010

S.O. 2094 (E).—Whereas the Central Government under sub-section (1) of Section 3 of the Jute Packaging Material (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) is empowered to specify the Commodities or class of Commodities or percentage thereof to be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material as may be specified in the order, considering the recommendations of the Standing Advisory Committee;

And, whereas, the Central Government, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 4 of the said Act, has constituted the Standing Advisory Committee *vide* number S.O. 549 (E), dated the 8th March, 2010, to recommend the norms of packaging in jute material;

And, whereas, the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary, in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof, to specify the commodities or class of commodities and percentage thereof for the jute for the year 2010-11 (i.e., from July 2010 to June 2011);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with sub-section (1) of Section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Schedule below, shall be packed in jute packaging material, for supply of distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Schedule with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for the Jute year 2010-11, i.e. up to 30th June, 2011.

SCHEDULE

Sl. No.	Commodities	Percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute, produced in India.
(1)	(2)	(3)
(i)	Foodgrains	Hundred per cent (100%)
(ii)	Sugar	Hundred per cent (100%)

2. Provided that the above provisions shall not apply to, -

- (a) sugar fortified with vitamins;
- (b) packaging for export of the commodities;
- (c) small consumer packs of twenty-five kilogram and below;
- (d) bulk packaging of more than hundred kilogram.

[F. No. 9/22/2010-Jute]

SUJIT GULATI, Jt. Secy.